NCRES
NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 194/NCRES/76/25 Date : 25.9.2025

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय : श्री राम अनन्ते, रिटायर्ड हेल्पर अधीन SSE/Sig/D2/PRYJ को दिनांक 20.11.2015 से MACP के तहत GP-2400 का लाभ देने हेतु।

संदर्भ : (i) DRM (P) का पत्र संख्या ई/2 इंजी/एस एण्ड टी/च श्रे/एमएसीपी/2018 दिनांक 23.10.2018
(ii) NCRES का PNM मद सं0 9/2024
(iii) NCRES का पत्र संख्या 67/NCRES/76/24 दिनांक 27.2.2024

महोदय,

NCRES ने अपने पत्र दिनांक 23.2.2016 व 31.8.2018 द्वारा Sr DPO/PRYJ से अनुरोध किया था कि श्री राम अनन्ते हेल्पर, अधीन SSE/Sig./D-2/PRYJ को RBE 215/2009 के तहत कैजुवल लेबर सर्विस के 50% कार्यकाल को जोड़कर 3rd MACP के तहत GP-2400 का लाभ दिनांक 20.11.2015 से दिया जाय। इस सम्बन्ध में DRM (P) ने भी अपने संदर्भित पत्र दिनांक 23.10.2018 द्वारा NCRES को अवगत कराया था कि श्री राम अनन्ते, पूर्व हेल्पर अधीन SSE/Sig./D-2/PRYJ को III MACP के तहत GP-2400 दिनांक 20.11.2015 से देय है और लाभ देने के लिये अधिकारी के पास केस प्रस्तुत किया गया है लेकिन खेद के साथ अवगत कराना है कि श्री राम अनन्ते सेवानिवृत हो गये और उन्हें प्रशासनिक विलम्ब के कारण 3rd MACP का लाभ नही मिल पाया।

श्री राम अनन्ते पूर्व हेल्पर ने IIIrd MACP का लाभ न मिल पाने पर PG पोर्टल पर अपील किया तो APO/PRYJ ने उन्हें अवगत कराया कि RBE 33/2021 के तहत उनकी 50% कैजुवल लेबर सर्विस नही जोड़ी जा सकती, इसीलिये 3rd MACP के तहत GP-2400 का लाभ उन्हें नही दिया जा सकता **जब कि उनके साथ के अन्य समकक्ष लोगो को 3rd MACP का लाभ दे दिया गया।**

उपरोक्त विसंगति पर NCRES ने अपने पत्र दिनांक 24.1.2023 द्वारा NFIR को अवगत कराया, जिस पर NFIR ने रेलवे बोर्ड से वार्ता किया और रेलवे बोर्ड ने दिनांक 14.2.2023 को RBE 31/2023 जारी किया जिसके अनुसार MACP का लाभ देने के लिये कैजुवल में किये गये कार्य का 50% जोड़ा जा सकता है।

चूंकि: मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक) द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका था कि श्री राम अनन्ते को III MACP के तहत GP-2400 का लाभ दिनांक 23.10.2018 से दिया जा सकता है, इसलिये श्री राम अनन्ते को दिनांक 20.11.2015 से तृतीय MACP के तहत GP-2400 का लाभ दिया जाना चाहिये।

NCRES का अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री राम अनन्ते, हेल्पर अधीन SSE/Sig/D2/PRYJ को तृतीय MACP के तहत दिनांक 20.11.2015 से GP-2400 प्रदान कर अन्य सभी लाभ देने हेतु प्रयागराज मण्डल को उचित दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– DRM(P) का पत्र दिनांक 23.10.2018

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक
उ0 म0 रे0 / इलाहाबाद

पत्र सं0 ई / 2 इंजी / एसएण्डटी / च श्रे / एमएसीपी / 2018 दिनांक 23.10.2018

मण्डल सचिव
केन्द्रीय संगठन मंत्री,
एनसीआरईएस / इलाहाबाद

विषयः— श्री राम अनन्ते,मू. पू. हेल्पर अधीन वरि खण्ड अभियंता / संकेत / डी–2 / इलाहाबाद को एमएसीपी के तहत जीपी 2400 का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्रांक एनसीआरईएस / इला / 5 / 14 / 2018 दिनांक 31.8.2018

उपरोक्त संबंध में श्री राम अनन्ते,मू. पू. हेल्पर अधीन वरि खण्ड अभियंता / संकेत / डी–2 / इलाहाबाद को तृतीय एमएसीपी के तहत जीपी 2400 का लाभ दिनांक 20.1.[illegible] से देय है। जिसके लिए केस सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत है। कार्यवाही पूर्ण होने पर जीपी 2400 का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा। श्री राम अनन्ते दिनांक 29.2.2016 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

23/10/18

(एम0के0खरे)
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक / का0
उ0 म0 रे0, इलाहाबाद

Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera